भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3961

27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

3961 श्री मनन कुमार मिश्र:

डा. दिनेश शर्मा:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री अमर पाल मौर्य:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से चरणबद्ध तरीके से सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आदर्श गांवों के रूप में विकसित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है और आदर्श स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक संकेतकों और आजीविका सृजन के संदर्भ में परिणामों का कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीएमएवाई-जी, एसबीएमजी और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं में संतृप्ति प्राप्त कर चुके गोद लिए गए गांवों का प्रतिशत क्या है;

(च) क्या मंत्रालय की सभी मुख्य योजनाओं के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों की सार्वभौमिक संतृप्ति प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो उसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) माननीय संसद सदस्यों ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत 986 ग्राम पंचायतों की पहचान की है। एसएजीवाई के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से चुनी गई ग्राम पंचायतों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) चिह्नित ग्राम पंचायत (जीपी) को आदर्श ग्राम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, जनता द्वारा प्राथमिकता दी गई आवश्यकताओं के आधार पर एक कार्य समूह द्वारा ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार की जाती है। वीडीपी के तहत नियोजित सभी परियोजनाओं/गतिविधियों के पूरा होने पर ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम माना जाता है। वर्ष 2014 से 2024 तक 8 चरणों में एसएजीवाई के तहत कुल 3,361 ग्राम पंचायतें गोद ली गईं, जिनमें से 1,878 ग्राम पंचायतों ने अपनी वीडीपी के तहत नियोजित 100% परियोजनाओं/गतिविधियों को पूरा कर लिया है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने एसएजीवाई और गैर-एसएजीवाई ग्राम पंचायतों का प्रभाव मूल्यांकन किया है ताकि सभी वर्गों की जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा जीवन गुणवत्ता में सुधार पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, एसएजीवाई के तहत चयन के बाद की मुख्य प्रगति इस प्रकार है:

- कृषि बुनियादी ढांचे, जैसे कि कस्टम हायरिंग केंद्र, सरकारी बीज केंद्र और खाद्यान्न भंडारण गोदाम में सुधार, जिससे किसानों के लिए संसाधनों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- पशुधन विस्तार सेवाएँ बढ़ी है, जिसमें अधिक पशु चिकित्सालयों के माध्यम से पशु स्वास्थ्य देखभाल और उत्पादकता में सुधार सुनिश्चित हुआ है।
- कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण उद्यमिता और आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं और सुदृढ़ हुई हैं।
- एसएजीवाई के तहत बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण संपर्कता, पाइप लाइन से जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी में वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के सकारात्मक परिणामों का संकेत है।
- एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में एक उच्च प्रतिशत परिवारों ने नशा दुरुपयोग से संबंधित स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों में भाग लेने तथा शारीरिक व्यायाम में संलग्न होने की जानकारी दी, जो स्वस्थ व्यवहारिक प्रथाओं की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

(ङ) से (छ) एसएजीवाई के तहत, जनता द्वारा प्राथमिकता दी गई आवश्यकताओं के आधार पर वीडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं और गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। इसलिए, एसएजीवाई के तहत किसी विशिष्ट योजना की संतृप्ति या उसे प्राप्त करने की समय-सीमा की निगरानी पर बल नहीं दिया जाता है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3961 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसएजीवाई के तहत चयनित राज्य-वार ग्राम पंचायतें:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चरण VI (2021-22)	चरण VII (2022-23)	चरण VIII (2023-24)	कुल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	2	0	3
आंध्र प्रदेश	24	21	23	68
अरुणाचल प्रदेश	1	2	1	4
असम	2	2	2	6
बिहार	23	23	26	72
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ	16	12	11	39
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	3	2	2	7
गुजरात	31	32	31	94
हरियाणा	11	10	10	31
हिमाचल प्रदेश	6	6	6	18
जम्मू और कश्मीर	6	2	0	8
झारखंड	12	12	11	35
कर्नाटक	20	16	8	44
केरल	17	15	5	37

लद्दाख	**1**	**0**	**0**	**1**
लक्षद्वीप	**0**	**0**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश	**8**	**6**	**9**	**23**
महाराष्ट्र	**23**	**25**	**20**	**68**
मणिपुर	**4**	**4**	**3**	**11**
मेघालय	**0**	**0**	**0**	**0**
मिजोरम	**2**	**3**	**1**	**6**
नागालैंड	**0**	**0**	**0**	**0**
ओडिशा	**7**	**7**	**10**	**24**
पुदुचेरी	**2**	**2**	**0**	**4**
पंजाब	**9**	**8**	**7**	**24**
राजस्थान	**16**	**23**	**17**	**56**
सिक्किम	**1**	**1**	**3**	**5**
तमिलनाडु	**43**	**41**	**35**	**119**
तेलंगाना	**13**	**6**	**4**	**23**
त्रिपुरा	**2**	**2**	**2**	**6**
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	**1**	**1**	**3**	**5**
उत्तर प्रदेश	**51**	**41**	**39**	**131**
उत्तराखंड	**4**	**6**	**4**	**14**
पश्चिम बंगाल	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल	**360**	**333**	**293**	**986**
